न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 30 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट — रेस्पोडेंटगण

1. दिलीप चारण — बनाम — 1.बाबुलाल वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 96 सी पी सी वास्ते संयोजित करने पक्षकार बतौर अपीलांट

उपस्थित

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट / आवेदक की ओर से
2. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से
3. राजकीय अभिभाषक श्री हाजी खां रेस्पोडेंट संख्या 19 से 21 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.11.2019

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार बताय है कि मौजा सिणधरी चौसीरा के खेत खसरा संख्या 122 / 56 रकबा 38.19 बीघा भूमि जो राजस्व रिकॉर्ड में बंजर व आबादी योग्य बारानी दोयम भूमि हैं, सहित खसरा संख्या 54 जो कि वन्य संरक्षित भूमि हैं, सहित खसरा संख्या 55 जो कि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज भूमि हैं, उक्त खसरे आलौच्य निर्णय से प्रभावित होते हैं एवं वन विभाग द्वारा जो 06.16 बीघा भूमि छोड़ी गई हैं, वह वास्तव में खसरा संख्या 54 की ही भूमि हैं किन्तु राजस्व अधिकारियों सहित वाद के पक्षकारों द्वारा खसरा संख्या 54 की भूमि पैमाईश किये बिना ही खसरा संख्या 54 की भूमि को कम कर वन्य भूमि को नुकसान पहुंचाते हुए खसरा संख्या 55 का अस्तित्व मिटाकर खसरा संख्या 54 के आगे खसरा संख्या 56 को अवस्थित कर दिया गया हैं एवं गलत मौका रिपोर्ट के अनुरूप खसरा संख्या 56 में बनी सड़क की भूमि खसरा संख्या 122 / 56 में कायम कर तरमीम में बदलाव कर खसरा संख्या 122 / 56 की 06.16 बीघा भूमि को कम कर दिया, जिससे कि प्रत्येक ग्रामवासी के हितों पर कुठाराघात हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर यह अवधारित किया हैं कि गोचर भूमि, वन भूमि व जल संरक्षणार्थ एवं सरकारी रास्ते की भूमि को कोई व्यक्ति अवरूदित करता है या उसके नष्ट करता है तो स्थानीय निवासियों को उसको रोकने एवं विरोध करने एवं विधिक कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी स्थिति में अपीलांट जो कि सिणधरी चौसीरा गांव का मूल निवासी हैं तथा यह अपील वन्य भूमि, रास्ते की भूमि व सरकारी भूमि के रक्षार्थ यह अपील तृतीय पक्षकार के रूप में पेश की गई हैं। न्यायाहित में प्रार्थी को इस अपील में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आवश्यक पक्षकार बनाया जावें इसलिये प्रार्थीगण के हित हस्तगत अपील से पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे है तथा प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकार भी है इसलिये प्रार्थीगण को इस अपील में बतौर अपीलांट के रूप में पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी पी सी दिनांक 22.05.2019 को पेश कर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सिणधरी चौसीरा के खसरा संख्या 56 में सर्वप्रथम मुझ प्रार्थी भंवरलाल द्वारा 04 बीघा भूमि पूर्व खातेदार रसालकंवर पत्नी जीवराजसिंह से खरीद की गई थी। जिस पर सर्वप्रथम खसरा संख्या 56 मे से मेरे खसरा संख्या 56/1 रकबा 04 बीघा का रेकर्ड में दर्ज हुआ था। उक्त 04 बीघा भूमि के पूर्व दिशा में बालोतरा से सांचौर जाने वाली डामर सड़क स्थित थी तथा दक्षिण दिशा में जालोर से बाड़मेर जाने वाली डामर सडक बनी हुई थी साथ ही खसरा संख्या 56 की सम्पूर्ण भूमि बालोतरा से सांचोर जाने वाली डामर सड़क के पश्चिम में थी। उसका कब्जा भी डामर सड़क के पश्चिम में लिया था जो आज से पचास वर्षो से लगातार चला आ रहा है। मेरे खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 56/1 में से 10 बिस्वा भूमि खसरा संख्या 56/1/1 व्यवसायिक के रूप में परिवर्तन करवाई तथा शेष 03.10 बीघा भूमि का सपरिवर्तन आवासीय में करवा रखा है। भूमि किस्म परिवर्तन की कार्यवाही के समय राजस्व अधिकारियों द्वारा मौका देखा गया था। बाबुलाल सिरेमल द्वारा मेरी खरीद के बाद 38.02 बीघा भूमि शैतानसिंह पुत्र जीवराजसिंह से खरीद की थी। जो भूमि भी डामर सड़क के पश्चिम में ही अवस्थित थी। डामर सड़क के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 54 की भूमि वन विभाग की है जो वन विभाग के स्वामित्व एवं आधिपत्य में अवस्थित है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा पौधारोपण किया गया था जो कई वर्षो से कायम था। बाबुलाल द्वारा गलत रूप से वन विभाग की भूमि को हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी इस प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति है जिसे पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वन विभाग एवं तहसीलदार सिणधरी की ओर से अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश कर दी गई है। सरकार की तरफ से अपील पेश होने के बाद तृतीय पक्षकार द्वारा पूर्व में पेश अपील का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 96 सी पी सी अस्वीकार फरमाया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि आम जनता के जरिये कहीं भी दावे में उल्लेख नहीं है। आदेश 01 नियम 08 सी पी सी की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/आवेदनकर्ता पक्षकार नहीं थे। अपील जनहित में नहीं होकर व्यक्तिगत है। न्यायालय में वन विभाग एवं तहसीलदार सिणधरी ने भी उपस्थिति दर्ज करवा दी गई है। दुसरे पक्ष का कोई लेना देना नहीं है और दुसरा पक्ष इसमें न तो हितबद्ध है और नहीं पक्षकार जोड़ने योग्य है केवल उतरदाता संख्या 01 से 18 को तंग एवं परेशान करने के लिए और ब्लेक मैल करने की नियत से पेश किया गया है। इस प्रकरण में वन विभाग की एक इंच भी जमीन उतरदाता संख्या 01 से 18 ने नहीं ली है, वन विभाग की भूमि जो गजट में प्रकाशित हुई वह आज भी वन विभाग के खाते में दर्ज है, उल्टा वन विभाग ने उतरदाता संख्या 01 से 18 की 06.16 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा किया था जो वन विभाग स्वयं ने स्वीकार करते हुए अपने स्तर पर हटा दिया और अपनी जितनी भूमि थी उस पर अपना कब्जा रखा। वन विभाग की भूमि के संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है जिन्होने सही स्थिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है और प्रार्थीगण को वन विभाग की भूमि के संबंध में ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं है जबकि वन विभाग की तरफ से उनके अधिकारी उपस्थित हुए है तथा प्रार्थी इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थीगणों के आवेदनों को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रार्थी/आवेदक भंवरलाल ने खसरा संख्या 56 का रिकॉर्डेड खातेदार सद्भाविक क्रेता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार संयोजित नहीं किया गया जिससे वह अपने हितों की पैरवी नहीं कर पाया इसलिए पक्षकार संयोजित करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी आवश्यक एवं प्रभावित/पीड़ित पक्षकार होने से उनका आवेदन स्वीकार किया जाकर पक्षकार बतौर उतरदाता के रूप में संयोजित किया जाता है। भंवरलाल पुत्र गणेशमल को तहसीलदार सिणधरी द्वारा पेश अपील एवं वन विभाग की तरफ से पेश अपील में पक्षकार बतौर उतरदाता संयोजित किया जाता है मुताबिक आदेश अपीलांट संशोधित शीर्षक पेश करे। प्रार्थी दिलीप चारण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 96 सी पी सी तत्कालीन परिस्थिति में राजकीय हित में पेश किया गया है जो सराहनीय कार्य है लेकिन वर्तमान में वन विभाग एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा मामले को लेकर वादग्रस्त आराजी से संबंधित अपील पेश कर पैरवी की जा रही है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वर्तमान में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक हित बराबर पैरवी की जा रही है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का कोई हित निहित नहीं है। प्रार्थी आवश्यक एवं प्रभावित/पीड़ित पक्षकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 96 सी पी सी खारिज करने योग्य ठहरता है।

अतः दिलीप चारण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सहपठित धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है। अपीलांट का आवेदन खारिज होने से अपील की अनुमति नहीं होने से अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। मामले को लेकर सुनवाई वन विभाग एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा पेश अपील मे सुनवाई होगी तथा हस्तगत अपील में पारित स्थगन आदेश सरकार की अपीलों में प्रभावी रहेगा।

(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner